यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट
इनाम वगै0 बनाम साहुन खां

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.10.2024	आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है। अतः उभयपक्ष (प्रार्थी,अप्रार्थीगण) को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 09.12.2024 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष आराजी हाल ख0 177 रकबा 0.0100है0 का 1/96 भाग, 145 रकबा 0.0800है0 का 1/72 भाग, 146 रकबा 0.4000है0 का 1/96 भाग, 155 रकबा 0.4300है0 का 1/72 भाग, 143 रकबा 0. 290है0 का 1/96 भाग वाके ग्राम सरपुर तहसील किशनगढबास में विवादित आराजी पर मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। क्योंना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी.तलबाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 09.12.2024 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)	

09/12/24 वकील प्रार्थी उप०। वास्ते इंतजार तलबी दिनांक 11/02/25 को पेश हो। [signature]

11-2-25 पत्रावली मुकदमा के साथ पेश हो। प्रार्थी/वादी का मुकदमा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका है अतः अन्तर्गत 212 आर.टी.एक्ट भी खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर संलग्न मुकदमा रहे। [signature]